

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/823/2021/10-11/806

भोपाल, दिनांक 21-02-2023

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन के ग्राम मुहैर व पड़री के कक्ष क्र. RF-276, & PF-277, 278, 279 के रकबा 622.783 हे. वनभूमि के स्थान पर पुनरीक्षित रकबा 139.86 हे. वनभूमि में ब्लॉक-बी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु NCL का व्यपवर्तन का आनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/44294/2020

—0—

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली द्वारा वन मंडल सिंगरौली में ब्लॉक-बी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन रकबा 622.783 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/44294/2020 प्रस्तुत किया गया था जिसे आपके पत्र दिनांक 29/06/2022 से Rejected किया गया था।

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा रकबा 622.783 हे. वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव को संशोधित कर रकबा 139.86 हेक्टेयर का करना चाहते थे इसके कारण आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांकF-1/823/2021-22/4380दिनांक 29/12/2022 से इस ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/ MIN/44294/2020 को Rejected की श्रेणी से हटाकर SG स्तर पर करने का अनुरोध किया गया था ताकि प्रस्ताव के भाग-1 में आवेदक संस्था तथा भाग-2 में वन मंडल अधिकारी संशोधित रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की जानकारी इन्द्राज कर सकें।

आपके द्वारा उक्त ऑनलाईन प्रस्ताव को Rejected की श्रेणी से हटाकर पुनर्जीवित किया जाकर SG स्तर पर किया गया।

1. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा इस पुनर्जीवित ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/44294/2020 के भाग-1 में संशोधित रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि व्यापवर्तन की जानकारी तथा वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा भाग-2 में संशोधित रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि में ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन व्यपवर्तन की जानकारी अपलोड की गई है। अपलोड जानकारी अनुसार प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

(i) वन भूमि का विवरण :-

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम का नाम	वन कक्ष क्र.	संशोधित आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
सिंगरौली	बैढन	मुहैर	RF-276	45.86
		आरक्षित वनभूमि का योग-		45.86
		पड़री	PF- 277	9.70
			PF-278	74.59
			PF-279	9.71
संरक्षित वनभूमि का योग-			94.00	
महायोग-			139.86	

(ii) वनभूमि के उपयोग का विवरण :-

क्रमांक	कार्य का विवरण	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
1	कोयला उत्खनन एरिया	45.86
2	ओवर बर्डन डम्प एरिया	94.00
	योग	139.86

2. महाप्रबंधक, नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा रकबा 139.86 वनक्षेत्र, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1975 के तहत अधिग्रहण किया गया है।
3. आवेदित वनक्षेत्र से किसी व्यक्ति या परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। आवेदक संस्था द्वारा पूर्व प्रस्ताव में पुनर्वास एवं पुनस्थापन नीति वर्ष 2012 संलग्न प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक संस्था द्वारा संशोधित रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का निर्धारित प्रपत्र में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस पत्रक ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड किया गया है।
5. आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. J-11015/80/2013-IA.II (M) दिनांक 06/08/2014 से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रति प्रस्ताव में अपलोड है।
6. आवेदक संस्था द्वारा सी.एम.पी.डी. आई. द्वारा तैयार ब्लॉक-बी परियोजना के माईनिंग प्लान वर्ष 2018 की प्रति पूर्व प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत की गई थी।
7. कोल इंडिया लिमिटेड, बोर्ड, महारत्ना कम्पनी, राजरहाट, कोलकाता द्वारा पत्र क्रमांक CIL:XI(D):04112:2019 23373 दिनांक 14/08/2019 से माईनिंग प्लान अनुमोदित किया गया है। पत्र की प्रति पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न है।
8. आवेदक संस्था द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु कलेक्टर सिंगरौली को दिनांक 23/1/2020 को आवेदन किया गया है जो प्रक्रियाधीन है।
9. संशोधित रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि इको क्लास-3 श्रेणी का वनक्षेत्र है जिसका घनत्व 0.3 है।
10. प्रस्तावित वन वनक्षेत्र में साल, सागौन, साजा, बन्स एवं सतकटा कुल 46571 वृक्ष विद्यमान है।
11. प्रस्तावित वनभूमि हाथी कॉरीडोर अन्तर्गत आता है। वन मंडल अधिकारी सिंगरौली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित वनभूमि कक्ष क्रमांक RF-276, & PF- 277, 278, 279 हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है।
12. प्रस्तावित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।
13. प्रस्तावित वन क्षेत्र के अंतर्गत कोई पारम्परिक स्थल/ऐतिहासिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।
14. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम की गई है।
15. प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होना प्रतिवेदित नहीं है।

16. वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संशोधित रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory afforestation) हेतु जिला सिंगरौली के निम्न परिक्षेत्रों के कुल रकबा 335 हेक्टेयर की दुगने बिगड़े वनक्षेत्र की वनीकरण योजना की संभावित व्यय राशि रूपये 110591675/- की जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड की गई है:-

क्र0	जिला / वनमण्डल	परिक्षेत्र	वन कक्ष क्र.	रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	राशि रू0
1	सिंगरौली	गोरबी	पी.एफ.-152,	50.00	17421315
2		चितरंगी	पी.एफ.-64	100.00	28724538
3		चितरंगी	पी.एफ.-82	35.00	14523161
4		माड़ा	आर.एफ.-513,	100.00	31957557
5		जियावन	पी.एफ.-752	50.00	17965104
			योग	335.00	110591675

अतः ऑनलाईन प्रस्ताव रकबा 622.783 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में राज्य शासन, वन विभाग द्वारा पूर्व मे ही रकबा 622.783 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रशासकीय अनुमोदन/स्वीकृति की अनुशंसा की जा चुकी है । अतः संशोधित रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि का पुनः प्रशासकीय अनुमोदन/स्वीकृति की अनुशंसा प्राप्त किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः संशोधित प्रस्ताव रकबा 139.86 हेक्टेयर वनभूमि कोयला उत्खनन हेतु एन.सी.एल. के पक्ष में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।


(सुनील अग्रवाल)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/एफ-1/823/2021/10-11/807
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21-02-2023

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं.-3, ई-5 रविशंकर नगर, भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा।
3. वन मंडल अधिकारी, सा. वन मंडल, सिंगरौली मध्य प्रदेश।
4. महा प्रबंधक, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ब्लॉक-बी परियोजना, पोस्ट गोरबी, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल